भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2281

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नए सरकारी अस्पतालों की स्थापना

2281. श्री कल्याण बनर्जीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्थापित सरकारी अस्पतालों की वर्ष-वार एवं राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नए अस्पताल स्थापित करने और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत और संवितरित कुल धनराशि कितनी है:

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान देश में केंद्रीय सहायता से स्थापित राज्य सामान्य अस्पतालों की संख्या कितनी है और प्रत्येक राज्य को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या देश में नए अस्पताल संबंधी परियोजनाओं हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति या धनराशि संवितरण हेतु कोई प्रस्ताव लंबित हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रलाय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) मानदंडों के अनुसार, 80,000-1,20,000 जनसंख्या को कवर करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 1,00,000-5,00,000 जनसंख्या को कवर करने के लिए उप-ज़िला अस्पताल और 30,00,000 तक की जनसंख्या को कवर करने के लिए ज़िला अस्पताल स्थापित किए जाने होते हैं।

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का उपलब्ध संसाधनों की सूचना सहित विवरण हेल्थ डाइनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

रेल मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों और उनको आवंटित निधियों का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वे आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के प्रयास करें। हालाँकि, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम):** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करती है।

  एनएचएम के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के निर्माण संबंधी विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 और गत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अनुमोदित निधि का विवरण **अनुलग्नक III** में दिया गया है।

- **पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम):** इस योजना के केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटकों के अंतर्गत, जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में 100 और 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 621 सीसीबी की स्थापना हेतु 18,799.21 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। पीएम-एबीएचआईएम के केंद्रीय क्षेत्र घटक के अंतर्गत, 12 एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) में 150 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

- **भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज II (ईसीआरपी-II):** "भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज": चरण II कुल 23,123 करोड़ रुपये का है। ईसीआरपी-II में केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में केंद्रीय अंश के साथ-साथ राज्य अंश भी शामिल है। केंद्र प्रायोजित के तहत, घटकों में एनएचएम फ्रेमवर्क के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों स्तर पर राज्य अंश के साथ एनएचएम में लागू सहायता भी शामिल है।

- **15वां वित्त आयोग :** पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदानों के अंतर्गत, 2673 पीएचसी (एएएम) को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 3581.47 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई):** इसका उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं का संवर्धन करना है। इस योजना के दो घटक हैं, नामत: (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना; और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नयन। अब तक इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में 22 नए एम्स की स्थापना और जीएमसीआई के उन्नयन की 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

- **'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना'** के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, देश में कुल 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।

अनुलग्नक-I

<u>देश में रेल मंत्रालय के तहत आने वाले अस्पतालों में बिस्तर की स्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:</u>

क्रम संख्या	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**अस्पतालों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	06
2	असम	09
3	बिहार	08
4	छत्तीसगढ़	03
5	दिल्ली	02
6	गुजरात	07
7	हरियाणा	03
8	झारखंड	05
9	कर्नाटक	04
10	केरल	03
11	मध्य प्रदेश	09
12	महाराष्ट्र	13
13	ओडिशा	04
14	पंजाब	04
15	राजस्थान	09
16	तमिलनाडु	08
17	तेलंगाना	01
18	उत्तर प्रदेश	17
19	पश्चिम बंगाल	13

अनुलग्नक-II

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान और वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान।

(करोड़ में)

क्र.सं.	**योजना/संस्थान/अस्पताल**	वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान	वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान
केंद्र द्वारा किया गया व्यय			
केंद्र का स्थापना व्यय			
1	सफदरजंग अस्पताल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली	1926.50	2179.58
2	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्वेद विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	1220.00	1458.26
3	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल	630.00	800.00
4	कलावती शरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली	155.85	183.16
5	अन्य अस्पताल/संस्थान	929.49	1142.81
		4861.84	**5763.81**
6	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	1736.00	2200.00
7	अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	5000.00	5200.00
8	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	2240.00	2400.00
9	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी	1370.00	1450.00
10	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु	780.00	860.00
11	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग	475.00	530.00
12	क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल	632.30	650.00
13	क्षेत्रीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल	101.00	135.00
14	लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर	50.00	65.00
15	अन्य स्वायत्त निकाय		
	लाला राम स्वरूप टीबी संस्थान एवं संबद्ध रोग विभाग, नई दिल्ली	165.00	210.00
	वल्लभ भाई चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय	77.00	83.5
	कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा	118.97	128.99
	कैंसर नियंत्रण (सीएनसीआई, कोलकाता)	90	110.16
	अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर	90.82	146.67
	नई दिल्ली टीबी केंद्र	6.83	7.52
	चिकित्सा विज्ञान संस्थान - बीएचयू, वाराणसी को अनुदान	0.00	101

अनुलग्नक-III

एनएचएम के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्वीकृत निधियां

(लाखों में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2025-26	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	15797.55	15,797.55
2	अंडमान एवं निकोबार आई.एस.	37	110.20
3	अरुणाचल प्रदेश	1662.43	6,838.50
4	असम	12585.95	6,106.14
5	बिहार	6550	5,811.00
6	चंडीगढ़	0	-
7	छत्तीसगढ़	12567.79	12,564.24
8	दिल्ली	0	0
9	दादरा और नगर हवेली एवं दीव, दमन	0	0
10	गोवा	0	-
11	गुजरात	2000	2,000.00
12	हरियाणा	0	-
13	हिमाचल प्रदेश	6	6.00
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	-
15	झारखंड	3901.5	3,907.50
16	कर्नाटक	1555	832.30
17	केरल	2941.32	6,464.94
18	लद्दाख	1439.055	1,274.33
19	लक्षद्वीप	0	-
20	मध्य प्रदेश	51974	27,899.28
21	महाराष्ट्र	44281.25	69,465.21
22	मणिपुर	5596.08	6,605.73
23	मेघालय	0	75.20
24	मिजोरम	0	-
25	नागालैंड	3520.59	3,579.81
26	ओडिशा	34204.08	38,021.56
27	पुडुचेरी	0	-
28	पंजाब	210	2,038.00
29	राजस्थान	146775.11	1,25,759.85
30	सिक्किम	1194.28	113.00
31	तमिलनाडु	22644.92	26,506.92
32	तेलंगाना	50	789.00
33	त्रिपुरा	3465	9,153.43
34	उत्तर प्रदेश	0	-
35	उत्तराखंड	10467.944	6,636.12
36	पश्चिम बंगाल	20223.75	8,735.08
	कुल	4,05,650.60	3,87,090.89
	सभी राज्यों में एमसीएच विंग (एफएमआर 11)	19,264.00	35,132.00
	कुल योग	**4,24,914.60**	**4,22,222.89**

*****